प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 29.08.2026

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया।, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

दिनांक 28.08.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त सूजल चौहान पुत्र अशोक कुमार निवासी राम विहार कालोनी 40 फुटा रोड बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को स्थल रिस्तल रोड जावली की ओर से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई 01 स्कूटी बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना टीलामोड़ पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि हमने यह स्कूटी दिल्ली के थाना नरैला क्षेत्र से मौका पाकर चोरी की थी। हम इस स्कूटी को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सूजल चौहान पुत्र अशोक कुमार निवासी राम विहार कालोनी 40 फुटा रोड बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष
2. 01 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त वाहन चोरी के संबंध में थाना नरैला दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना टीला मोड पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 वाहन चोर गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया , कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 28.08.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. शेखर पुत्र गोपाल निवासी गगन विहार भौपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद 2. राहुल उर्फ लुक्का पुत्र प्रवीन निवासी गगन विहार भौपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद को कोयल एन्कलेव बिजली घर चौराहा से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद जिसके संबंध में थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त

बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम नशे के आदी हैं। नशे की पूर्ति के लिए हमने यह मोटरसाइकिल थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र से चोरी की थी। हम इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शेखर पुत्र गोपाल निवासी गगन विहार भौपुरा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. राहुल उर्फ लुक्का पुत्र प्रवीन निवासी गगन विहार भौपुरा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहासः-

उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में थाना शालीमार गार्डन पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना टीलामोड़ पर पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान घर से मोबाईल फोन चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाईल फोन VIVO कम्पनी बरामद।

दिनांक 29.08.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान घर से मोबाईल फोन चोरी करने वाला अभियुक्त आकाश उर्फ अक्की पुत्र नामू सिंह निवासी निकट श्री राम मेडिकल स्टोर ,ई –ब्लॉक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को मेरठ रोड से हिण्डन विहार जाने वाले रास्ते पर करीब 30 मीटर की दूरी से थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 02 मोबाइल फोन vivo बरामद हुए। पहला मोबाईल फोन नीले रंग का जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-505/2026 धारा 305 (a) बीएनएस पंजीकृत है। बरामदा दुसरे फोन vivo डार्क नीला बारमद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि खर्चा चलाने व नशा करने के लिए मोबाइल चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. आकाश उर्फ अक्की पुत्र नामू सिंह निवासी निकट श्री राम मेडिकल स्टोर ,ई –ब्लॉक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1.मोबाइल फोन वीवो रंग नीला।
2.मोबाइल फोन वीवो डार्क नीला।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आकाश उर्फ अक्की उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग बीएनएस सम्बन्धी पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 27.08.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त चोरी/झपटमारी/बलवा/हमला कर मारपीट करने, उपहति/ घोर उपहति कारित करने, गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने, हत्या का प्रयत्न करने, धोखाधडी/छल करने, रिष्टि कारित करने, अवैध खनन करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 07 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्व कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	21/2026	ट्रोनिका सिटी	टीटू पुत्र लीलू निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 488/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियम) अधि0 1957 थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद, 2. मु0अ0सं0 449/2025 धारा 115(2),191(2),191(3),351(3),352 बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद
2	61/2026	इन्दिरापुरम	मनीष कसाना पुत्र बृजपाल सिंह निवासी ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	11. मु0अ0सं0 462/2025 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस व 3(2)5(ए) एससी-एसटी एक्ट थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद 2. मु0अ0सं0 665/2025 धारा 420,120बी भादवि थाना इंदिरापुरम, जनपद गाजियाबाद 3. मु0अ0सं0 1515/2024 धारा 191(2),191(3),115(2),131,324(4),351(2), 352 बीएनएस थाना इंदिरापुरम, जनपद गाजियाबाद, 4. मु0अ0सं0 1365ए/2013 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना सैक्टर 58 नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर 5. परिवाद सं0 3965/2019 धारा 452,504,506 भादवि व 3(2)5 एससी-एसटी एक्ट थाना इंदिरापुरम, जनपद गाजियाबाद
3	88/2026	विजयनगर	विवेक पुत्र करण सिंह निवासी उपरी तरकोला थाना धामपुर बिजनौर हाल पता म0नं0 284	1. मु0अ0सं0 634/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना विजयनगर, जनपद गाजियाबाद,

			एच ब्लाक तिकोना, पार्क सैक्टर 09 थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	2. मु0अ0सं0 317/2024 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना क्रासिंग रिपब्लिक, जनपद गाजियाबाद,
4	95/2026	नन्दग्राम	अंकुर पुत्र महेश निवासी नंगला फिरोजमोहनपुर थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 507/2025 धारा 115(2),117(2),351(2),352 बीएनएस थाना नन्दग्राम, जनपद गाजियाबाद, 2. मु0अ0सं0 45/2026 धारा 115(2),324(4),351(3),352 बीएनएस थाना नन्दग्राम, जनपद गाजियाबाद
5	99/2026	लोनी बार्डर	अभिषेक जाटव पुत्र जगपाल जाटव निवासी बरात घर के पास टीला शहबाजपुर थाना लोनी बार्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष	1. मु0अ0सं0 66/2025 धारा 311,317(3) बीएनएस थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, 2. मु0अ0सं0 67/2025 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गाजियाबाद
6	109/2026	मसूरी	नदीम पुत्र इदरीश निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 367/2025 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना वेवसिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, 2. मु0अ0सं0 07/2026 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना वेवसिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, 3. मु0अ0सं0 09/2026 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना वेवसिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद 4. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना वेवसिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद,
7	110/2026	मसूरी	शाहरूख पुत्र वकील निवासी ताज कालोनी मसूरी थाना मसूरी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 367/2025 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना वेवसिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, 2. मु0अ0सं0 07/2026 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना वेवसिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, 3. मु0अ0सं0 09/2026 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना वेवसिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद 4. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना वेवसिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष **2026 में 61** -विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष **2026 में** 41- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 29.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 बाल अपचारी उम्र करीब (16, 14 व 12 वर्ष) को दौलतनगर चौकी क्षेत्र पुस्ता से अभिरक्षा में लिया गया, जिनके कब्जे से थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से चोरी की गई 02 मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0-327/26 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

बाल अपचारियों ने पूछताछ पर बताया कि यह दोनों मोटरसाइकिल हम तीनों ने कुछ दिन पहले थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से चोरी की थी तथा इन मोटरसाइकिलो को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त दोनों मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 28.08.2026 को वादी श्री उवैस निवासी शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा थाना साहिबाबाद पर एक लिखित तहरीर दी गई कि वादी के नाबालिक भाई को शहजाद व वसीम अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए तथा लिफ्ट वाले रास्ते पर जो मैट्रो स्टेशन शहीद नगर से आता है पर लेकर पहुंचे, जहां पर सुहैल, मानू, अज़ीम तथा अन्ना व बल्लू पुत्र हाजी इसरान व अन्य लड़के खडे थे वहां पर शहजाद ने मोटरसाइकिल रोक दी। सुहैल, मानू, अज़ीम, अन्ना व बल्लू ने वादी के नाबालिक भाई को पकड़ कर मोटर साइकिल से खींच लिया और सीने में चाकू घोंप कर भाग गए। वादी अपने भाई को अस्पताल लेकर G.T.B. दिलशाद गार्डन हास्पिटल पहुंचे जहां पर ड़ाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना साहिबाबाद पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 28.08.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 01 बाल अपचारी को चौकी क्षेत्र शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादी के नाबालिक मृतक भाई का कुछ दिन पहले कबूतर को लेकर मेरे व मेरे दोस्त मानू के साथ नशे पत्ते को लेकर झगडा हो गया था। उस समय वादी के भाई ने मेरे साथ मारपीट की थी तभी मैंने व मेरे दोस्तों ने ठान लिया था कि हम सब लोग इसका जल्द ही काम तमाम करेंगे। दिनांक 27.08.2026 को समय करीब 10.00 बजे मेरे पास मेरा दोस्त मानू व अजीम, अन्ना, चन्दू आये और मुझे बताया कि आज हम अपने दुश्मन (वादी के भाई) को खत्म कर देंगे। तुम भी हमारे साथ चलो, उन्होंने मुझे सारा प्लान बताया और मानू ने बताया कि मैंने हमारे साथी शहजाद व वसीम को अपने दुश्मन (वादी के भाई) को लेने के लिये भेजा है, वे दोनों कुछ ही देर में (वादी के भाई) को लेकर मेट्रो स्टेशन शहीद नगर सीढियों के पास लेकर आने वाले है, मैंने अपना चाकू लिया और उनके साथ चल दिया हम थोडी देर बाद शहीद नगर मेट्रो स्टेशन सीढियों के पास बने ATM के पास पहुंचे तो कुछ ही देर में शहजाद और वसीम (नाबालिक मृतक) को अपनी मोटरसाईकिल पर बीच में बैठाकर वहां पर ले आये जैसे ही शहजाद और वसीम ने मोटरसाईकिल को रोका तो हम सबने उसके साथ मारपीट शुरु कर दी और जब वह हम से छूटकर भागने लगा तो मेरे सभी साथियों ने मुझे चिल्लाकर कहा कि चाकू मारकर इसका काम खत्म कर दे, तब मैंने अपने सुड्डे से चाकू निकालकर उसकी छाती में मार दिये थे। हम दोस्तो ने प्लान बनाकर एक साथ मिलकर उसको मार दिया और हम सब लोग वहाँ से अलग अलग भाग गये थे।

आपराधिक इतिहासः-

बाल अपचारी के विरूद्ध हत्या का 01 अभियोग थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

आला कत्ल 01 चाकू बरामद।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 719 ग्राम अवैध गांजा व 11 पुडिया अवैध गांजा वजन 77 ग्राम (कुल वजन 796 ग्राम) व 500 रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरणः-

आज दिनांक 29.08.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गांजा की अवैध तस्करी करने वाला अभियुक्त युनुस खान पुत्र असगर अली निवासी डी-113 न्यू सीमापुरी बी ब्लाक थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष को बजीराबाद रोड ग्रीन बैल्ट के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 719 ग्राम अवैध गांजा व 11 पुडिया अवैध गांजा वजन 77 ग्राम (कुल वजन 796 ग्राम) व 500 रूपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं यह गांजा दिल्ली से चोरी छिपे लेकर आता हूँ तथा दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में छोटी-छोटी पुडिया बनाकर बेच देता हूँ और आर्थिक लाभ कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

युनुस खान पुत्र असगर अली निवासी डी-113 न्यू सीमापुरी बी ब्लाक थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से 719 ग्राम अवैध गांजा व 11 पुडिया अवैध गांजा वजन 77 ग्राम (कुल वजन 796 ग्राम) व 500 रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।